

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या: 34/2023	
04-2-2026	<p>वकील पक्षकारान उपस्थित। चूंकि मूल निगरानी आवेदन आज निर्णित हो चुका है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का यह स्थगन प्रार्थना पत्र अब प्रभावहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, अर्न्तगत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिरोही</p>	